MICRO, SMALL & MEDIUM ENTRPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार) - राष्ट्रीय नोडल अभिकरण

प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

देश के विभिन्न वर्ग के लोगों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमन्त्री रोजगार योजना का विलय कर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से एक नई योजना की शुरूआत 14 अगस्त 2008 से की है। राष्ट्रीय स्तर पर योजना के क्रियान्यवन हेतु भारत सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) को एकमात्र नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है तथा आयोग के अतिरिक्त राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व राज्य सरकार के जिला उद्योग केन्द्र भी इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोगी है। इस योजना के अन्तर्गत उद्यम स्थापित करने के लिये रु. 25 लाख तक की परियोजना लागत का 15 से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी (सब्सिडी) अनुदान का प्रावधान है।

1. परियोजना-पात्रता :

- लाभार्थी की उम्र 18 साल से अधिक हो।
- कम से कम 8वीं कक्षा पास (विनिर्माण क्षेत्र में रु. 10 लाख और सेवा क्षेत्र में रु. 5 लाख से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए)।
- स्वयं सहायता समूह।
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाएं।
- उत्पादन आधारित सहकारी समितियाँ।
- दानदाता न्यास।
- परियोजना की स्थापना के लिए कोई आय सीमा नहीं।
- योजना के अन्तर्गत केवल स्थापित की जाने वाली नई इकाइयों को सहायता।
- राज्य या केन्द्र सरकार की किसी योजना में सब्सिडी का लाभ ले चुकी अथवा ले रही इकाइयाँ वर्तमान योजना हेतु पात्र नहीं होंगी। (साझेदार कम्पनी, प्राइवेट लि. कम्पनियां, संयुक्त उद्यमी, संयुक्त ऋणी, का-आबलीगेटर अथवा एच.यू.एफ. इस योजना के पात्र नहीं हैं।)

योजना के अन्तर्गत नई परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी। पूर्व स्थापित उद्योगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

2. पात्र गतिविधियां :

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी निषिद्ध सूची में उल्लेखित परियोजनाओं को छोड़कर सभी उद्योग।
- प्रति व्यक्ति अचल पूँजी निवेश समतल क्षेत्र में अधिकतम रु. 1.00 लाख एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में रु. 1.50 लाख।
- परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण इकाई के लिए अधिकतम रु. 25.00 लाख और सेवा इकाई के लिए रु. 10.00 लाख।

3. कार्यान्वयन अभिकरण :

सम्पर्क को आसान बनाने के लिए प्रत्येक जिले में तीन अभिकरण कार्य कर रहे है।

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग-ग्रामीण क्षेत्र।
- राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड-ग्रामीण क्षेत्र।
- प्रदेश के समस्त जिला उद्योग केन्द्र-शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्र।

4. बैंक :

- समस्त सरकारी क्षेत्र के बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- राज्य के उद्योग सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित आईसीआईसीआई बैंक।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

5. परिचालन क्षेत्र :

खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 2006 के तहत यथाधोषित ग्रामीण क्षेत्र से आशय-

(अ) कोई ऐसा वर्गीकृत क्षेत्र जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के राजस्व अभिलेखों के अनुसार गांव की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो।

(ब) ऐसा कोई भी गांव, नगर या कस्बा जिसकी जनसंख्या 20 हजार से अधिक न हो।

6. वित्तीय सहायता की मात्रा एवं प्रकृति :

प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थी की श्रेणी	लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत का)	मार्जिन (सब्सिडी) (परियोजना लागत का)	
क्षेत्र (परियोजना/इकाई की अवस्थिति)		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष श्रेणी (अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक/महिला/पूर्व सैनिक/शारीरिक विकलांग/सीमावर्ती क्षेत्र)	05%	25%	35%

7. ऋण की मात्रा :

- बैंक सामान्य श्रेणी के उद्यमी को परियोजना लागत की 90 प्रतिशत ऋण राशि तथा विशेष श्रेणी के लाभग्राहियों/संस्थाओं के मामले में 95 प्रतिशत ऋण राशि स्वीकृत कर भुगतान करेंगे।
- बैंक परियोजना की स्थापना के लिए संपूर्ण स्वीकृत राशि जारी करेंगे।
- परियोजना लागत में भूमि की कीमत शामिल नहीं की जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत रु. 10.00 लाख तक संपार्श्विक प्रतिभूति मुक्त ऋण (Collateral Security Free Loan) प्रदान करना अनिवार्य है।

8. आवेदन की पद्धति :

- आवेदन से लेकर मार्जिन मनी (सब्सिडी) भुगतान की सम्पूर्ण व्यवस्था डीबीटी के तहत ऑनलाइन की गई है।
- व्यक्तिगत व संस्थागत आवेदन पत्र केवल ऑन-लाइन ही ***www.kviconline.gov.in*** पर ***pmegp*** ई-पोर्टल पर स्वीकार किये जाते हैं। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय तीनों एजेन्सियों खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अथवा जिला उद्योग केन्द्र मे से किसी एक का चयन कर आवेदन करना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ आवेदन करते समय ऑन-लाइन ही आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- सम्बन्धित एजेन्सी आवेदन पत्रों को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला टास्क फोर्स समिति के समक्ष रखेंगी।
- जिला टॉस्क फोर्स समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर बैंकों को अग्रसारित करने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लेगी।
- सम्बन्धित एजेन्सी जिला टॉस्क फोर्स समिति के निर्णयानुसार अनुमोदित आवेदन पत्रों को बैंकों को ऑनलाइन ही अग्रसारित करेगी।

9. परिचालन कार्यविधि :

- बैंक ऋण की पात्रता के बारे में अपना निर्णय लेंगे और परियोजना को ऑन लाईन पोर्टल पर मंजूर करेंगे तथा अस्वीकृति की स्थिति में कारण के विषय में ऑन लाईन पोर्टल पर अंकित करेंगें।
- बैंक ऋण स्वीकृति उपरान्त ईडीपी प्रशिक्षण हेतु उद्यमी को पीएमईजीपी योजनान्तर्गत निर्धारित रूड़सेट/आरसेट संस्थानों को अग्रेषित करेंगें।
- परियोजना की मंजूरी एवं ईडीपी प्रशिक्षण उपरान्त लाभार्थी को स्वयं का अंशदान राशि नियमानुसार (स्वीकृत परियोजना राशि का 5% विशेष वर्ग अथवा 10% सामान्य वर्ग) बैंक में जमा कराना होगा।
- वित्तीयन बैंक द्वारा ऋण की प्रथम किश्त का भुगतान उद्यमी के स्वयं की अंशदान राशि जमा करने के उपरान्त ही किया जावेगा।
- परियोजना लागत में पूंजीगत ऋण एवं एकचक्र की कार्यशील पूंजी का समावेश होगा।

10. उद्यमिता विकास कार्यक्रम :

- प्रशिक्षण की समयावधि दो सप्ताह होगी।
- रू. 5.00 लाख तक की परियोजना लागत वाले उद्यमियों को 6 दिन एवं रु. 5.00 लाख से अधिक की परियोजना लागत वाले उद्यमियों को 10 दिन का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है।
- बैंक द्वारा उद्यमी को ऋण जारी करने से पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र लेकर पोटल पर जानकारी अपलोड करनी अनिवार्य है।

11. मार्जिनमनी जारी करना और उसका समायोजन :

- वित्तीयन बैंक द्वारा ऋण की प्रथम किश्त जारी होने के तीन कार्यदिवस के भीतर मार्जिनमनी दावा पीएमईजीपी पोर्टल पर ऑन लाईन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उद्यमी द्वारा जमा कराया गया अंशदान, ईडीपी प्रशिक्षण, ऋण की प्रथम किश्त आदि की जानकारी अपलोड करनी होगी।

- वित्तीयन बैंक द्वारा मार्जिनमनी राशि प्राप्त होने के उपरान्त उक्त राशि को लाभार्थी के नाम से तीन वर्ष की टीडीआर में रखनी होगी।
- टीडीआर पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा और न ही उसकी समतुल्य राशि पर ब्याज प्रभारित किया जायेगा।
- मार्जिनमनी राशि का समायोजन इकाई के भौतिक सत्यापन उपरान्त ही किया जायेगा।

12. भौतिक सत्यापन :

- योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा वित्त पोषित इकाइयों की वास्तविक स्थापना और कामकाज की स्थिति का 100% भौतिक सत्यापन खादी और ग्रामोद्योग आयोग बाहरी अभिकरण से करायेगा।
- बाहरी अभिकरण से प्राप्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी, उनके द्वारा प्रायोजित इकाईयों की मार्जिन मनी को उद्यमी के खाते में जमा करने के संबंध में बैंक की वित्तीयन शाखा को समायोजन पत्र जारी करेंगी। उसके उपरान्त ही सावधि खाते में जमा मार्जिन मनी को बैंक, उद्यमी के खाते में ऋण के सापेक्ष समायोजित कर सकेंगे।

13. निषिद्ध कार्यों की सूची :

(क) मांस से जुडे उद्योग/रोजगार अथवा उसका प्रसंस्करण, डिब्बाबन्दी या माँसाहारी खाद्यपदार्थ आदि, कोई ऐसा होटल या ढाबा जहाँ शराब या माँसाहारी भोजन परोसा जाता हो।

(ख) बीडी, पान, सिगार, सिगरेट आदि नशीली वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री। साथ ही कच्चे माल के रूप में तम्बाकू का प्रयोग, ताडी निकालना और बेचना।

(ग) चाय, कॉफी, रबर आदि के बागान सहित फसलों की खेती से जुडे उद्योग/कार्य, रेशमपालन (ककून पालन), बागवानी, हार्वेस्टर सहित पुष्पोद्यानिकी, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन जैसे पशुपालन कार्य।

(घ) 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन की थैलियों का विनिर्माण और पुनः एकीकृत प्लास्टिक से बने थैले या कन्टेनर या कोई ऐसा उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है।

(ड) कताई व बुनाई कार्यक्रम से संबंधित उद्योग।

(ण) ग्रामीण परिवहन (अंडमान और निकोबार में ऑटो रिक्शा, जम्मू और कश्मीर में हाउस बोट, शिकारा और पर्यटक नौका और साईकिल रिक्शा को छोडकर)।

(च) राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियां।

अधिक जानकारी हेतु आप सम्पर्क कर सकते हैं

(1) महाप्रबन्धक, समस्त जिला उद्योग केन्द्र

(2) सम्भाग प्रभारी राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर व जोधपुर सम्भाग

(3) आयुक्त उद्योग, राजस्थान सरकार, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
दूरभाष : 0141-2227796, फैक्स : 0141-2227516

(4) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर
दूरभाष : 0141-2705197-200, फैक्स : 0141-2706510

(5) सम्भागीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, किसान भवन, श्रीगंगानगर रोड़, बीकानेर
दूरभाष : 0151-2250171, फैक्स : 0151-2250161

(6) राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, झालाना डूँगरी संस्थान योजना, जयपुर
दूरभाष : 0141-2707850, फैक्स : 0141-2706969

विस्तृत जानकारी हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बेबसाईट www.kvic.org.in, www.pmegp.in को भी देखा जा सकता है।

राज्य कार्यालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार)
झालाना डूंगरी संस्थान योजना, जयपुर (राज.)
फोन नं.: 2707850, 2707844 फैक्स नं.: 0141-2706969 ई-मेल: kvicjpr@gmail.com

Printed at : Harihar Printers, Jaipur Ph.: 2600850

2016-17